पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः **1658** /अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : **21** /**10**/**2014**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की षष्ठ* बैठक मंगलवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** **(पृ.क्र. 01 से 07 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।**

03. **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** **(पृ.क्र. 08 से 13 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

04. **छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने का देयक रू. 12,32,000.00 (बारह लाख बत्तीस हजार रूपए) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 14)**

05. **डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।** **(पृ.क्र. 15 से 17 तक)**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. **विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।** ***(पृ.क्र. 18 से 21 तक)***

टीप : छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 403/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2014 से 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय पर इस वृद्धि से विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 7.87 लाख का एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 के शेष माह में रूपये 47.22 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.10.2014 (माह अक्टूबर, 2014 का वेतन जो माह नवम्बर, 2014 में देय है)	107 प्रतिशत

अतः माह अक्टूबर 2014 के वेतन में महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत जोड़कर भुगतान किये जाने के हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। शासन के आदेश एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

07. **संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।** (पृ.क्र.22 से 30 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. **वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR सीट मुद्रण एवं ऑन–लाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

(पृ.क्र. 31 से 32 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. **डॉ. दीपेन्द्र सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर, फार्मेसी को, यू.जी.सी. के द्वारा रमन फेलोशिप पोस्ट डॉक्ट्रल स्टडीज के लिए प्राप्त राशि रू. 22,86,836=00 को अग्रिम प्रदान करने के निवेदन पर विचार करना।** (पृ.क्र.33)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013–14 की नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग की समस्त कार्यों की सम्पादन हेतु देयक रु. 26,01,123=00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।** (पृ.क्र.34)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **1659** /अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : **21** /**10**/**2014**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

50

क्रमांक: 1441/अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक : 30/09/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की पंचम* बैठक गुरुवार, दिनांक 18.09.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
4. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
5. डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
6. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	–	सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
8. प्रो. दिनेश मरोठिया	–	सदस्य
9. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
10. श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन संलग्न कर सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.08.2014 एवं दिनांक 09.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.08.2014 एवं 09.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. दिनांक 27.06.2014 से 23.07.2014 तक कुल 17 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्रदान की गई का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **दिनांक 27.06.2014 से 23.07.2014 तक कुल 17 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. पूरक परीक्षा 2014 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रु. 15,35,000/– (पन्द्रह लाख पैंतीस हजार रुपए) स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पूरक परीक्षा 2014 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रु. 15,35,000/– की स्वीकृति दी गई।**

06. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Sciences) की स्थापना के लिए प्रेषित प्रस्ताव पर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रेषित प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदो के लिए कुल 15 पदों पर दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई।**

07. प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

निर्णय : **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

08. 2 अगस्त, पं.रविशंकर शुक्ल जयंती एवं 21 दिसम्बर पं. सुन्दरलाल शर्मा जयंती का अवकाश पूर्ववत रखे जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **2 अगस्त, पं.रविशंकर शुक्ल जयंती एवं 21 दिसम्बर पं.सुंदरलाल शर्मा जयंती का अवकाश पूर्ववत् रखने के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यथासंभव पं.रविशंकर शुक्ल जयंती तिथि को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यानमाला आयोजित किया जाय। दोनों कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।**

09. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रमन फेलोशिप उपाधि के लिए प्राकृतिक शोध उत्पाद केन्द्र, मिसीसिपी, ओलेमिसिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में चयन होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.11.2014 से एक वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन मंहगाई भत्ते के अलावा अन्य किसी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।**

10. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, रायपुर का विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर दिनांक 19.08.2014 से एक वर्ष अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित**

नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा सेवावृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

11. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्राचार्य–

1. संदीपनी एकेडमी, अछोटी, मुरमुंदा, जिला–दुर्ग द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये प्राचार्य पद पर अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया। संबंधित महाविद्यालय को नोटिस जारी किया जावे कि उन्होंने स्क्रूटनी के समय पात्रता का परीक्षण क्यों नहीं किया।

विभागाध्यक्ष शिक्षा–

1. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर में विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ. शिखा बेनर्जी के नाम का अनुमोदन किया गया।
2. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर में विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ. शिखा बेनर्जी के नाम का अनुमोदन किया गया।
3. सेठ सुगन चंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार श्रीमती जसबीर कौर के नाम का अनुमोदन किया गया।

12. एम.ए. संस्कृत सामान्य/पूर्वाध्य/उत्तर्राध्य, एम.ए.क्लासिक्स की परीक्षा के संबंध में छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करना।

निर्णय : स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2011 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2011 में अनुमोदन के फलस्वरुप संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रश्न पत्र का हल संस्कृत भाषा में करने संबंधी प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए छात्रहित में अस्थायी रुप से संस्कृत विषय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषा में कराने का निर्णय लिया गया। जिन छात्र–छात्राओं ने संस्कृत में हल किया है उनकी अंकसूची एवं उपाधि में माध्यम संस्कृत एवं जिन छात्र–छात्राओं ने हिंदी में हल किया है उनकी अंकसूची एवं उपाधि में माध्यम हिंदी लिखा जावे।

प्रकरण पर स्थायी रुप से निराकरण के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाये।

पूरक सूची :

01. NCNR द्वारा ALPHA-FT-IR, Analytical Instruments क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **ALPHA-FT-IR, Analytical Instruments क्रय करने के संबंध में BRUKERS Optic GmbH-D-76275 ETTLINGEN-RUDOLEF-PLANK STR-27 द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपए 17,34,424/– पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति से की गई अनुशंसा के अनुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

02. NCNR द्वारा AAS (Model AA-8000FG) क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **AAS (Model AA-8000FG) क्रय करने के संबंध में मेसर्स, Lab India Instruments Pvt.Ltd., Hyderabad द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपए 27,58,301/–पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

03. NCNR द्वारा LC-MS-MS क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **LC-MS-MS (Shimadzu LCMS 8040 Ultra Fas Triple Quadrupole Mass Spectrometer with NEXERA UHPLC System) क्रय करने के संबंध में मेसर्स, Shimadzu (Asia Pacific) Pvt.Ltd. Singapore द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 1,20,75,000/– पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

04. Director, NCNR के प्रस्ताव दिनांक 16.09.2014 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **DST-NCNR Project के अंतर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रोजेक्ट स्टॉफ, कंसल्टेंट व कोआर्डिनेटर को टी.ए.डी.ए. के साथ–साथ फील्ड एलाउन्स के रुप में रुपए 200/– प्रतिदिन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ बोर्डिंग चार्जेस वास्तविक दर प्राप्त होगा।**

05. इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग द्वारा DRDO प्रोजेक्ट के अंतर्गत ATLAS SILVACO FRAMEWORK उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : इलेक्ट्रानिक्स एंड फोटोनिक्स विभाग द्वारा **DRDO** प्रोजेक्ट के अंतर्गत **ATLAS SILVACO FRAMEWORK** उपकरण क्रय करने के संबंध में **SILVACO SINGAPORE** के **Sole India Distributor** मेसर्स, **Micro Chitronix System Lucknow** द्वारा प्रस्तुत दर रू. 6,00,075/– पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

07. डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की याचिका क्रमांक 1730/06 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की याचिका क्रमांक 1730/06 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अन्य समान प्रकरणों पर लिए गए निर्णयानुसार विधिक अभिमत लेकर कार्यवाही किया जावे।**

08. श्री बलदाऊ प्रसाद भंवर, सहायक यंत्री के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री बलदाऊ प्रसाद भंवर, सहायक यंत्री के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक/अपराध/अनु.–22(2006)/498/14, रायपुर दिनांक 23.05.2014 के संबंध में निर्णय लिया गया कि विभागीय जांच करायी जाय।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. राजभवन, रायपुर से राज्यपाल के अवर सचिव द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 5613/127/2013/रास/यू.–1रायपुर, दिनांक 26/08/2014 के साथ संलग्न प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यपरिषद ने विचार किया।

   लेख है कि डॉ. जयंत विश्वास के प्रकरण पर पूर्व में राजभवन के पत्र क्रमांक 6647/127/2013/रास/मुन/दिनांक 30.11.2013 द्वारा प्रतिवेदन मांगने पर विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 657/स्था/सा.प्रशा./2014 दिनांक 06.02.2014 द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है।

   डॉ. जयंत विश्वास ने एसोसिएट प्रोफेसर (बायोसाइंस) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्हें पर्याप्त अर्हताएं न पाये जाने के कारण साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया था। जिससे आहत होकर डॉ. जयंत विश्वास ने राजभवन में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय राज्यपाल के सचिवालय द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से डॉ. बी.एल. शर्मा, कुलपति, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच कार्यवाही की गई।

समस्त प्रपत्रों पर विचार किया गया डॉ. बी.एल. शर्मा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। डॉ. बी.एल. शर्मा के जांच रिपोर्ट में विस्तृत विवेचना की गई है और प्रतिवेदन के प्रभाव योग्य अंश का उल्लेख पृष्ठ क्रमांक 18 पर किया गया है।

यह पाया गया कि डॉ. जयंत विश्वास आवेदन दिनांक पर न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव नहीं रखते थे। इस कारण वे उक्त पद के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसी कारण डॉ. जयंत विश्वास को शार्ट लिस्ट नहीं किया गया एवं साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। जांच अधिकारी डॉ. बी0एल. शर्मा ने भी यही निष्कर्ष दिया है कि डॉ. जयंत विश्वास साक्षात्कार हेतु पर्याप्त पात्रता नहीं रखते थे।

अतः स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. जयंत विश्वास को साक्षात्कार में नहीं बुलाने का निर्णय पूर्णतः उचित एवं वैधानिक है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के प्रावधान अनुसार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों/प्रावधानों को किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्णय निर्धारित प्रावधानों के अनुसार है, जिस पर कार्यपरिषद ने सहमति व्यक्त की है। इस आधार पर डॉ. जयंत विश्वास को किसी भी प्रकार की अपील या शिकायत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

डॉ. जयंत विश्वास ने **API** गणना कमेटी पर भी आपत्ति की है। यह स्पष्ट है कि डॉ. जयंत विश्वास को पात्रता न होने के कारण साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया और उनका प्रकरण **API** गणना कमेटी को भी नहीं भेजा गया। ऐसी स्थिति में भी डॉ. जयंत विश्वास को किसी भी प्रकार की अपील या शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

इस आधार पर भी उनकी आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

डॉ. जयंत विश्वास ने मुख्य रुप से डॉ. श्रीमती आरती परगनिहा को **API** गणना कमेटी में सदस्य होने पर आपत्ति की है। यह पाया गया कि श्रीमती आरती परगनिहा बायोसाइंस विषय से संबंधित **API** गणना कमेटी में सदस्य नहीं थी और न ही श्रीमती आरती परगनिहा विभाग के स्क्रूटनी समिति में शामिल थी। इस आधार पर भी डॉ. जयंत विश्वास का आरोप मिथ्या एवं झूठा है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में डॉ. जयंत विश्वास की आपत्ति सारहीन एवं बिना उचित अधिकार (**No Locus Standi**) के होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन के पेज क्रमांक 13 में बिंदु 5 के अंतिम पैरा में निम्नानुसार लेख किया है–

"जॉच के दौरान श्री ए.के.पति, श्री ए.के.गुप्ता एवं श्रीमती आरती परगनिहा का यह बयान स्वीकार करने योग्य है कि कोई भी अधिकारी अपने हस्ताक्षर बिना डाटा वाले दस्तावेज पर नहीं करता है एवं श्री जयंत विश्वास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करके डाटा को हटा दिया गया है। यह एक दुर्भाग्य एवं दूराशय पूर्ण ढंग से रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ करने का मामला है। जो स्वयं जॉच की विषय वस्तु है।"

इस पर अलग से जांच कराकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाय।

2. विश्वविद्यालय परिसर के पास स्कूल के लिए जमीन मांगे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्कूल भवन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन का आकलन पहले कर लिया जावे तथा संबंधित भूमि के विवाद के संबंध में जानकारी देते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 1442/अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक :30/09/2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण, वि. वि. के समस्त विभागीय अधिकारी
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(8)

क्र. 1631 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014 रायपुर, दिनांकः 17/10/2014

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 14.10.2014 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवन्त सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगाशे	–	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
10.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
11.	डॉ. रश्मि मिंज	–	सदस्य
12.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी सम्बद्धता** दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	**B.A. -II -** Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, History	**60**	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 25.09.2014 शासकीय नवीन महाविद्यालय फिंगेश्वर में बी.ए.-II- 60 सीट, बी.एस–सी. -Biology पार्ट–2 60 सीट एवं बी.काम. पार्ट–2 के लिए 60 सीट सत्र 2014–15 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु वि.वि. के आदेश क्रमांक 807/अका./2014 रायपुर दिनांक 23.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में 25.09.2014 को समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन निम्नानुसार है। 1. महाविद्यालय में एक स्थायी प्राचार्य, एक सहायक प्राध्यापक रसायन नियमित है। 09 सहायक प्राध्यापकों के स्थायी पदों के विरूद्ध 09 अतिथि प्राध्यापक सभी	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		B.Sc. -II - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	**60**			
		B.Com.-II - (Compulsory Subject)	**60**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					विषयों में नियुक्त हैं। अशैक्षणिक पद में 03 सहायक एवं 02 भृत्य नियुक्त है। 03 तकनीशियन के पद विज्ञापित है। 2. महाविद्यालय शा.उ.मा. विद्यालय में संचालित है विद्यालय के द्वारा एक नया भवन जिसमें 06 कक्षा है जो महाविद्यालय को पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। 3. ग्रंथागार में 3500 पुस्तकें संबंधित विषयों के हैं। वाणिज्य विषय में अतिरिक्त पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण पर्याप्त है। 06 कम्प्यूटर भी है खेल सामाग्री उपलब्ध है। प्रयोगशाला सुव्यवस्थित की जानी है। 5. प्राचार्य ने सूचित किया कि भूमि/भवन की कार्यवाही शासन स्तर पर जारी है।	
2	स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	**बी.एस–सी. पार्ट–III** आ.पा.–हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र	60	2014–15	<u>निरीक्षण तिथि : **11.09.2014**</u> आज दिनांक 11.09.2014 को स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना में बी. एस–सी. भाग–3 (बायो) तथा बी.काम. भाग–3 की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया। वर्तमान में रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र विषय में एक–एक अतिथि व्याख्याता एवं वाणिज्य विषय में एक अतिथि व्याख्याता तथा 2 जनभागीदारी व्याख्याता कार्यरत हैं। अधोसंरचना पर्याप्त है। और अधीक प्रयोगशाला में उपकरण, गैस तथा प्रयोगशाला सामग्री की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार कुछ अतिरिक्त विषयवार पुस्तकें क्रय करना उचित होगा। अतः बी. एस.सी. भाग–3 में 60 एवं बी. काम. पार्ट–III में 50 सीटों की सम्बद्धता दी जा सकती है।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
		बी.काम. – III आ.पा. एवं अनिवार्य विषय	50			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद	B.Com. -III Compulsory Subjects, Env.Sc. B.A. -III Hindi, English, History, Geography, Political Sc. Env. Sc. B.Sc.-III Hindi, English, Botany, Zoology, Chemistry, Env. Sc.	60 60 60	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 05.09.2014 1. महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला में संचालित है, नए भवन के लिए टेन्डर हो चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। 2. महाविद्यालय में दो नियमित प्राध्यापक हैं एवं आठ अतिथि व्याख्याता कार्यरत् हैं। 3. ग्रंथालय में विभिन्न विषयों के 2 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। 4. अंततः विज्ञान, एवं भूगोल में प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला–दुर्ग	B.A. -III Hindi, English, Sociology , Economics, Geography B.Sc.-III Hindi, English, Botany, Zoology, Chemistry B.Com. -III All Compulsory Subjects	120 60 100	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 22.09.2014 1. बी.ए – III के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं। बी.एस–सी. भाग– III के लिये प्रयोशाला में उपकरणों की आवश्यकता होगी पर्याप्त उपकरण नहीं है। बी.काम. तीन के लिये (60) छात्रों के लायक ही कक्ष है। 2. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य एवं पांच नियमित सहा. प्राध्यापक है। अतिथि व्याख्याताओं की भी नियुक्ति है। महाविद्यालय शाला भवन में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माणाधीन है। पुस्तकालय में पुस्तकें छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा	**B.Com. -II** **B.A. -II** (F.C.-Hindi & English, Economics, Sociology, Political Sc.) **B.Sc. -II** (F.C.-Hindi & English, Physics, Chemistry, Maths)	60 60 60	2013–14	निरीक्षण तिथि : 29.09.2014 दिनांक 29.09.2014 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा का B.Com-II-60 seats, B.A.-II 60 seats तथा B.Sc. II 60 seats की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय शास. कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में संचालित हो रहा है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					छात्रों की संख्या 237 है। वर्तमान में वाणिज्य में एक नियमित शिक्षक तथा एक अतिथि शिक्षक, रसायन में एक अतिथि, भौतिकी – एक अतिथि शिक्षक तथा गणित में एक समाज शास्त्र में एक–एक अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं। B.A. में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में एक–एक अतिथि शिक्षक हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें है। प्रयोगशाला में सामग्री तथा उपकरण है। भविष्य में कुछ पुस्तकें तथा प्रयोगशाला उपकरण, गैस आदि की व्यवस्था करना उचित होगा 6 Class Room है। स्वयं का भवन तथा नियमित शिक्षकों का चयन आवश्यक है। सम्बद्धता हेतु अग्रेषित।	

03. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. एफ 17–1/2014/38–1 दिनांक 25.09.2014 के आदेशानुसार "शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला–कबीरधाम" नवीन नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।

04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र पृ. क्र. एफ 17–1/2014/38–1 दिनांक 25.09.2014 के आदेशानुसार "शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद" नवीन नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना –

1. महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर
2. श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर
3. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर

निर्णय : **1. महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, न्यू बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर**
2. श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय, बिलासपुर
3. जी.एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, विधानसभा रोड, रायपुर

उपरोक्त 03 महाविद्यालयों की सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबधंन की होगी।

06. Regulation 149 के संशोधन के प्रस्ताव विचार करना।

निर्णय : विनियम क्र. 149 – "Inclusion of Grade & Credit Points in Mark sheet" जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्यापन वाले विषयों पर ही सत्र 2013–14 से प्रभावी की गई है। सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2014–15 से प्रभावी किये जाने के लिए संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :–

Present Provision	Proposed Provision
1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.	1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD **and affiliated colleges** under the provision of the Ordinance 170.

07. हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश को मान्य किया गया।

08. सत्र 2014–15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
2	डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
3	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डौंडी, जिला–बालोद (छ.ग.)
4	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला–रायपुर (छ.ग.)
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
6	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
7	नवीन शास. कालेज बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
8	देव संस्कृति महाविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, सेक्टर–6, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
9	इंदिरा गांधी शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, दुर्ग
10	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला–दुर्ग
11	राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014–15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय :-

1. Revised Regulation 149-B -L.L.M.- (Inclusion of Grade and Credit Points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the University under the Ordinance-60) के अनुमोदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल से परीक्षण पश्चात् प्राप्त अनुशंसा, मान्य किया गया।

2. संचालनालय, उच्च शिक्षा से अभी तक स्नातक पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस संबंध में डॉ. किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा से हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार, स्नातक स्तर के बी.ए., बी.काम., बी.एस–सी., बी.सी.ए. तथा बी.एच.एस–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के समस्त पाठ्यक्रम, सत्र 2014–15 के लिए पूर्व वर्ष (सत्र 2013–14) के भाँति यथावत् रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

3. कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 9811/अका./2006 दिनांक 30/11/2006 के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक 14/11/2006 में लिए गये निर्णयानुसार परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि वह अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है तो कुलपति को सम्बोधन करते हुए पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है यह व्यवस्था वर्तमान में लागू है। इस प्रणाली के वर्तमान प्रावधान, प्रस्तावित प्रावधान एवं औचित्य निम्नानुसार है –

विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान	औचित्य
1. यदि कोई छात्र/छात्रा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् भी असन्तुष्ट है तो वह पुनः पुनर्मूल्यांकन हेतु कुलपति जी को सम्बोधित कर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा छात्र/छात्रा का उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों (पैनल) द्वारा लिया जावेगा । 2. पुनः पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक की गणना पुनर्मूल्यांकन नियम अध्यादेश 6 कंडिका 26/3 के तहत वर्तमान नियमानुसार की जावेगी । 3. पुनः पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त प्राप्तांक को गणना हेतु आधार अंक मूल प्राप्तांक को ही माना जाता है न कि पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त प्राप्तांक 4. पुनः पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अंक की गणना मूल प्राप्तांक से की जाती है इस स्थिति में नियमानुसार यदि अंक बढ़ने या घटने की स्थिति प्राप्त प्राप्तांक के मूल्यांकन को अन्तिम माना जावेगा ।	1. पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुर्नमूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा । 2. पुनः पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक अन्तिम प्राप्तांक होगा।	पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) की गणना के संबंध में अध्यादेश में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण कार्यपरिषद् द्वारा गणना की प्रक्रिया अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26/3 के अनुसार निर्धारित किया गया है। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे परिक्षार्थी जिनके 1 या 2 अंक वृद्धि होता है, परिणाम में शामिल नहीं किया जाता है। चूंकि पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) परीक्षार्थियों के लिए अंतिम व्यवस्था है। अतः परीक्षार्थियों के हित में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर प्रस्तावित प्रावधान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि प्रभावित परीक्षार्थियों को लाभ मिल सके।

पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) के लिए प्रस्तावित प्रावधान का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1632/अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014** रायपुर, दिनांकः 17/**10/2014**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(14)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने का देयक रू0 12,32,000.00 भुगतान स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दि0 20.09.13 के पूरक विषय क0 10 में हुए स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को वर्ष 2014 के वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका पत्र क0 239/विकास/उ.पु./13 दि0 21.05.2014 के द्वारा मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु आदेशित किया गया था । छत्तीसगढ़ संवाद ने मुद्रण आदेशानुसार उत्तर–पुस्तिका मुद्रित कर विश्वविद्यालय के मुद्रणालय में आपूर्ति कर दी जिसका प्रमाणीकरण नस्ती के नोटशीट के पृष्ठ क0 04 पर विश्वविद्यालय मुद्रणालय ने किया है ।

क्र0	उ0पु0 का विवरण	विवरण					
		पेपर साइज़	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	मुद्रण संख्या	उ0पु0 निर्माण दर	कुल राशि
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	9"x11"	24 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	03 लाख	रू. 02.56 प्रति नग	रू. 7,68,000.00
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	9"x11"	16 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	02 लाख	रू. 01.76 प्रति नग	रू. 3,52,000.00
03	छ० ग० संवाद का चार्जेस 10%						रू. 1,12,000.00
04	कुल रू. – (रू. बारह लाख बत्तीस हजार मात्र)						रू. 12,32,000.00

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा देयक क0 907 दि0 09.09.2014 के द्वारा रू0 12,32,000.00 (रू0 बाहर लाख बत्तीस हजार मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

अतः छत्तीसगढ़ संवाद को रू0 12,32,000.00 (रू0 बाहर लाख बत्तीस हजार मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत ।

10/10-14

(15)

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

विषय :– डॉ. बी. के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

01 माननीय कार्यपरिषद के बैठक दिनांक 18.09.2014 में डॉ. बी. के. मेहता निर्देशक एवं आचार्य, (निलंबित) संचालक दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अन्य समान प्रकरणों पर लिए गए निर्णयानुसार विधिक अभिमत लेकर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

02 तदानुसार आदरणी श्री एस. आई. शाह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश से अभिमत प्राप्त किया गया है। विधिक अभिमत में मूलरूप से निम्नानुसार उल्लेख किया गया है कि :–

उनकी निलंबन अवधि पर No Work no pay **का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का, किसी प्रकार का भुगतान किया जाना उचित नही होगा और सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।**

(विधिक अभिमत की प्रति संलग्न)

अतः कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं आदेशर्थ प्रस्तुत।

(16)

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि.,
रायपुर छ.ग.

विषयः— डॉ. बी. के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य, (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के प्रकरण से संबंधित याचिका क्रमांक 1730/2006 में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2014 के संबंध में विधिक अभिमत प्रेषण बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्र क./309/कु. स./2014 रायपुर, दिनांक 26/09/2014.

विषयांतर्गत लेख है कि डॉ. बी. के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य, (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के प्रकरण से संबंधित विधिक अभिमत संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

दिनांक 27/09/2014

(एस. आई. शाह) 27.IX.2014
सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश,
बैरन बाजार,
रायपुर छ. ग.

विषय:– डॉ. बी. के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य, (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के प्रकरण से संबंधित याचिका कमांक 1730/2006 में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2014 के संबंध में विधिक अभिमत :–

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क. /309/कु. स./2014 रायपुर, दिनांक 26/ 09/2014. के साथ डॉ. बी. के. मेहता के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका कमांक wp 1730/2006 में पारित आदेश दिनांक 01–09–2014 की प्रतिलिपि के साथ संबंधित प्रकरण के दस्तावेज प्राप्त हुए जिसका अवलोकन किया गया। यहा यह तथ्य पाया जाता है कि डॉ. बी. के. मेहता दिनांक 08/11/2005 से निलंबित थे और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लंबित रहने की अवधि में ही डॉ. बी. के. मेहता की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण वे दिनांक 31/12/2008 को सेवानिवृत्त हो चुके है। अभी उनका पेंशन प्रकरण निराकृत नही हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका कमांक 1730/2006 अंशतः स्वीकार की गई है। याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01–09–2014 की कंडिका 15 में यह उल्लेख किया गया है कि– डॉ. बी. के. मेहता को दी गई चार्जशीट में क्षेत्राधिकार की त्रुटि हुई है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतिम बिंदु कमांक 17 में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वि. वि. चाहे तो नियमानुसार अग्रिम जांच करा सकते है।

चूंकि डॉ. बी. के. मेहता निलंबन की तिथि दिनांक 08–11–2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31–12–2008 तक निलंबित रहे है और इस प्रकार 06 वर्षो से सेवानिवृत्त भी हो चुके है। इस स्थिति में अब अग्रिम जांच करना वि. वि. के हित में नहीं है और जांच करने से डॉ. बी. के. मेहता जिनकी आयु अब लगभग 68 वर्ष हो गई है के विरुद्ध यदि जांच की जावेंगी तो उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक प्रताड़ना भी होगी।

ऐसी स्थिति में मेरे मतानुसार– उनकी निलंबन अवधि पर No work no pay का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का किसी प्रकार का भुगतान किया जाना उचित नही होगा और सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

27.IX.2014

दिनांक:– 27/09/2014

(एस/आई. शाह)
सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश,
बैरन बाजार,
रायपुर छ. ग.

(18)

//कार्यालयीन टीप //

छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 4033/ एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों /अधिकारियों /कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2014 से 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय है । इस वृद्वि के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 7.87 लाख का एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 के शेष 06 महिनों में रूपये 47.22 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा ।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.10.2014 (माह अक्टूबर, 2014 का वेतन जो माह नवम्बर 2014 में देय है)	107 प्रतिशत

अतः माह अक्टूबर 2014 के वेतन में महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत जोड़ने हेतु एवं प्रकरण आगामी कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत् ।

वित्त नियंत्रक
पं. द. उ. वि. वि. रायपुर (छ.ग.)

वित्त निर्देश 50/2014

19

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 403/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.10.2014 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 178/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.01.2014 से 100 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है । शासन द्वारा उक्त महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-10-2014 (माह अक्टूबर, 2014 का वेतन जो माह नवम्बर, 2014 में देय है)	107 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी । इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

04/10/2014

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(21)

पृ. कमांक 404/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. ~~आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।~~
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(करूणा पाण्डेय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

22

विषयः- संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करने बाबत् ।

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के उपनियम 12(2)(ख) में सेवा निवृत्ति के समय वेतन संरचना में देय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं इस पर देय महंगाई राहत की राशि घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त संविदा वेतन दिये जाने का प्रावधान था। तद्नुसार इस विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्त, सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों को संविदा वेतन भुगतान किया जा रहा है।

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के उपनियम 12(2)(ख) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन दिनांक 05.07.2014 से प्रभावशील की गई है:-

(एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा,

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय दर से महंगाई भत्ते की पात्रता होगी,

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न है, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नही करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा।

अतः छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 के अनुसार छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के उपनियम 12(2)(ख) में संशोधन अनुसार अंगीकृत कर, इस विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्त, सेवा निवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों के संविदा वेतन दिनांक 05.07.2014 से संशोधन किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के आदेशार्थ प्रस्तुत।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम – 2012 का नियमन।

—:00:—

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2004 को विलोपित करते हुये, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ है। नियम की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न है। कृपया संलग्न नियम के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एम.आर. ठाकुर) 13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
5. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री जी/मान. मंत्री जी/मान. राज्यमंत्री जी/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़।

6. सचिव, लोक आयोग, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
9. सचिव, सूचना आयोग, रायपुर
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर।
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
15. अवर सचिव/ स्थापना/ अधीक्षण/ अभिलेख/ मुख्यलेखाधिकारी मंत्रालय, रायपुर।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
18. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़।
19. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
20. संचालक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **http://www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड करने बाबत्।
21. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समस्त अस्थाई मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों को भेजने हेतु अग्रेषित।

17/1/13

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012—पौष 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "विभागीय भर्ती नियम" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "उच्च पद" से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से "एक उच्च पद";

(च) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक या शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाये।

4. **संविदा नियुक्ति के पद.**—निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :—

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।

(2) विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिये न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

(5) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिये की जानी हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी :—

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

(चार) नियम 4(5) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**— (1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

7. **आयु सीमा.**– (1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

(2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

8. **नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.**– (1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

(2) (क) सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

9. **सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ.**– (एक) सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

(दो) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

(तीन) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

(चार) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

(पाँच) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

(छः) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर;

(सात) दोष सिद्ध होने पर; एवं
(आठ) शासकीय सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

10. **आरक्षण.**— नियम 4(1) व (2) में विहित संविदा नियुक्ति के पदों पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

11. **नियुक्ति की अवधि.**— (1) नियम 4(1) में उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
(2) नियम 4(2) एवं (3) में उल्लिखित पदों पर, संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
(3) नियम 4(4) एवं (5) में उल्लिखित पदों पर, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, संविदा नियुक्ति उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर विशेष प्रकरण के तौर पर दिये जाने की स्थिति में, संविदा नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, जिसे आगे विभागीय आवश्यकता एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के अभिमत के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा।
(4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।
(5) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. **संविदा वेतन.**— (1) इस नियम के उप–नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों को छोड़कर, संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:—

(क) नियम 4(1) व (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ख) सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा;

(ग) संविदा नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में, अधिवार्षिकी से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में अथवा/या विशेषज्ञता, अनुभव व विशिष्ट योग्यता के आधार पर संविदा नियुक्ति के मामले में, किसी पद पर/उच्च पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक साथ ही अन्य देय आनुषंगिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से दिये जा सकेंगे।

13. **अवकाश की पात्रता.**– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण– गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा तथा विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।

14. **यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें.**– (1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिये यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों में विहित नही हैं तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15. **अन्य शर्तें.**– (1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(4) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/ उनके लिये बाध्यकारी होगा।

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(6) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45–क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

16. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

17. **नियमों में शिथिलीकरण का अधिकार.**– इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण का अधिकार मंत्रिपरिषद को होगा।

18. **निरसन तथा व्यावृति.**– इन नियमों के तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

– 7

(23)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 9–1/2012/1–3, नया रायपुर, दिनांक 15/07/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 12 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) में संशोधन किया गया है। संशोधन के संबंध में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 05 जुलाई, 2014 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

15/7/14
(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 9–1/2012/1–3, नया रायपुर, दिनांक 15/07/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
3. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।

.....2

(24)

7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्प संख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छ.ग.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर, छ.ग.
10. विशेष सहायक/निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण, नया रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
12. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
13. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
15. अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

15/7/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

25

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 नि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 "

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015 "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—आषाढ 14, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा, -

(एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा ;

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ते की पात्रता होगी ,

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न हैं, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा."

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3, दिनांक 05-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव

Naya Raipur, the 5th July 2014

NOTIFICATION

No. F 9-1/2012/1/3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in "the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012", namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For clause (b) of sub rule (2) of rule 12 the following shall be substituted, namely :-

"(b) In case of contract appointment of a retired Government servant contract pay shall be fixed as under -

(i) basic contract pay shall be determined by deducting the basic pension (including commuted portion) fixed on retirement from the basic pay admissible on the date of retirement ;

(ii) he shall be entitled for dearness allowance on basic contract pay so fixed, at the rate admissible to state government employees from time to time ,

(iii) he shall be entitled for such special pay/allowances which were admissible on the post he was holding at the time of retirement and are also attached to the post of contract appointment, at such rate on which he was drawing at the time of retirement and apart from this he shall be entitled for house rent allowance (if do not possess government accommodation) and city compensatory allowance, on the basic pay as getting at the time of retirement and shall also be entitled for pension and dearness relief on pension separately."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014

(27)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 9–1/2012/1–3, नया रायपुर, दिनांक 6/09/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 12 में दिनांक 05 जुलाई, 2014 को संशोधन किया गया था। जिसमें दिनांक 23 अगस्त, 2014 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन 5 जुलाई 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

06/9/14
(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 9–1/2012/1–3, नया रायपुर, दिनांक 6/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
3. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।

.....2

(28)

7. सचिव, राज्य योजना आयोग / राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग / राज्य मानव अधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग / राज्य महिला आयोग / राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग / राज्य अनुसूचित जाति आयोग / राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग / राज्य अल्प संख्यक आयोग / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग / राज्य युवा आयोग / लोक आयोग / राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छ.ग.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर, छ.ग.
10. विशेष सहायक / निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण, नया रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
12. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर की ओर समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ ।
13. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
15. अवर सचिव(स्थापना) / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

6/7/15

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(29)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2014

कमांक एफ 9–1/2012/1/3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो 5 जुलाई 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 12 के उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा–

(एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा;

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को समय–समय पर अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ते की पात्रता होगी;

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न हैं, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नही करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा ।"

2. एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1/3 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में किया गया संशोधन, 5 जुलाई 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कमशः...2

(30)

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2014

क्रमांक एफ 9–1/2012/1/3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 23 अगस्त, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

31

विषय : वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR सीट मुद्रण एवं ऑन–लाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2014 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR सीट मुद्रण एवं ऑन–लाइन कार्य हेतु छ0ग0 संवाद के माध्यम से निम्नलिखित समाचार–पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित किया गया था :–

1. इंडियन एक्सप्रेस, राष्ट्रीय समाचार–पत्र (नागपुर संस्करण)
2. नवभारत समाचार–पत्र (प्रादेशिक संस्करण)
3. हरिभूमि समाचार–पत्र (प्रादेशिक संस्करण)

में0 ओसवाल कम्प्यूटर्स एड कन्सलटेंट, परदेशीपुरा, इंदौर (म0प्र0), द्वारा प्रस्तुत दर अन्य फर्मों से प्रस्तुत दर से कम होने के कारण न्यूनतम दर के आधार पर डी0पी0सी0/सी0पी0सी0 की अनुशंसा के पश्चात् वार्षिक/पूरक परीक्षा 2014 के रिजल्ट प्रोसेसिंग संबंधी कार्य हेतु अनुबंध किया गया था। उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत दर निम्नानुसार हैः–

<u>रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु :–</u>

~~(A) परीक्षा फॉर्म प्रति पृष्ठ~~	~~रू0 0.55~~
(B) ओएमआर सीट मुद्रण प्रति Sheet	रू0 1.45
(C) लिफाफा प्रति नग	रू0 1.05
कुल राशि –	रू0 3.05
(D) परीक्षा पूर्व कार्य प्रति छात्र	रू0 6.60
(E) परीक्षा पश्चात् कार्य प्रति छात्र	रू0 6.75
(F) पूनर्मूल्यांकन कार्य प्रति छात्र	रू0 7.80
(G) पूरक परीक्षा कार्य प्रति छात्र	रू0 7.80

<u>ऑन– लाइन कार्य हेतु :–</u>

(H) नामांकन/परीक्षा/पुर्नमूल्यांकन एवं अन्य आवेदन–पत्र के प्रेषण कार्य हेतु	रू0 3.00 प्रति छात्र।
(I) परीक्षा पूर्व ऑन–लाइन कार्य	रू0 6.25 प्रति छात्र।
(J) परीक्षा पश्चात् ऑन–लाइन कार्य	रू0 6.60 प्रति छात्र।
(K) पूर्नमूल्यांकन संबंधी ऑन–लाइन कार्य	रू0 7.80 प्रति छात्र।
(L) पूरक परीक्षा संबंधी ऑन–लाईन कार्य	रू0 7.80 प्रति छात्र।

में0 ओसवाल कम्प्यूटर्स एंड कन्सलटेंट, परदेशीपुरा, इंदौर (म0प्र0), को उपरोक्त दर पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30/07/2013 के पूरक सूची कमांक 03 पर हुई स्वीकृति अनुसार संबंधित फर्म से वार्षिक/पूरक परीक्षा 2014 के रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के ऑन–लाइन संबंधी कार्य कराया गया है।कार्यपरिषद् की बैठक में यह भी अनुमोदित किया गया है कि **"अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाय तथा संतोषजनक पाये जाने पर एक–एक वर्ष वृध्दि किया जा सकता है तथा यह वृध्दि अधिकतम तीन वर्ष तक की जा सकेगी"**।

21-10-14

कृ.पृ.उ.

(32)

संबंधित फर्म द्वारा वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई कार्य को समय पर किया गया है। वर्ष 2015 की परीक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए ऑन–लाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराया जाना है।

अतः मेंo ओसवाल कम्प्यूटर्स एंड कन्सलटेंट, परदेशीपुरा, इंदौर (मoप्रo), द्वारा वार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा सन् 2014 में किये गए कार्यों को देखते हुए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30/07/2013 के पूरक सूची कमांक 03 पर हुई स्वीकृति के संदर्भ में वार्षिक/पूरक परीक्षा 2015 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिये परीक्षा आवेदन पत्र ऑन–लाइन के माध्यम से संबंधित फर्म से कराये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

21-10-14

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु टीप

डॉ दीपेन्द्र सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर फार्मेसी को यू.जी.सी. के द्वारा रमन फेलोशिप पोस्ट डॉक्ट्रल स्टडीज University Mississippi, Olemiss, USA में 2014–15, दिनांक 14.10.2014 से एक वर्ष के लिए अवार्ड किया गया है

इनकी राशि 22,86,836.00 विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। डॉ दीपेन्द्र सिंह के द्वारा उपरोक्त राशि अग्रिम प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि इनकी राशि U.S.A. में प्रतिमाह खर्च होना है, एवं डॉलर में भुगतान किया जाना है। इस लिए अग्रिम प्रदान किया जाना उचित होगा ताकि वर्तमान दर पर डॉलर में Convert किया जा सके।

अधि0 / वित्त

21/4/14

21/4

(34)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– मे० ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा० लि० इंदौर को सत्र 2013–14 की नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग के समस्त कार्यो के संपादन हेतु देयक रू० 26,01,123=00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

वर्ष 2013–2014 की मुख्य एवं पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य, ऑनलाईन पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना कार्य एवं ऑनलाइन नामांकन कार्य के लिए मे0 ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कन्सल्टेंट प्रा0लि0, इंदौर एवं विश्वविद्यालय के मध्य दिनांक 06.12.2013 को हुए अनुबंध के अनुसार फर्म ने वर्ष 2013–2014 की मुख्य एवं पूरक परीक्षा के रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य, ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना कार्य एवं ऑनलाइन नामांकन का कार्य संपादित करने के पश्चात् कुल 09 अलग–अलग देयकों के माध्यम से कुल राशि रू0 26,01,123.00 (रू0 छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया है । प्राप्त 09 देयकों में दर्ज छात्र संख्याओं को परीक्षा एवं गोपनीय विभाग से सत्यापन कराने के पश्चात् कुल रू0 26,01,123.00 (रू0 छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) भुगतान करने योग्य पाया गया।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए रू० 26,01,123=00 (रू0 छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्रमांक 2566 /परीक्षा/ 2014 रायपुर, दिनांक 22 / 10 /2014

प्रति,

संचालक,
ओसवाल कम्प्यूटर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्रा.लि.,
60, इलेक्ट्रॉनिक काम्पलेक्स,
परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.) 452 010.

विषय :– वार्षिक परीक्षा 2014 के परीक्षा परिणाम में आपके द्वारा त्रुटि होने के संबंध में।

महोदय,

विषयांतर्गत सूचित करना है कि आपके द्वारा वार्षिक परीक्षा 2014 के निम्नलिखित कक्षाओं के परिणाम में त्रुटियां की गई है जो निम्नानुसार है :–

1. **बी.एड**– B.Ed वार्षिक परीक्षा का परिणाम त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है। B.Ed का परिणम दो भाग में तैयार किया जाता है जिसमें यदि एक भाग में परीक्षार्थी उत्तीर्ण होता है तो उसका परिणाम श्रेणी सहित उत्तीर्ण घोषित किया जाता है तथा दूसरे भाग में अनुत्तीर्ण है तो उक्त भाग मे अनुत्तीर्ण होना था लेकिन आपक द्वारा केवल उत्तीर्ण घोषित किया गया है जो गंभीर त्रुटी है। आपको दोनो भागों का अलग–अलग परिणाम श्रेणी सहित उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण तैयार करना था। भविष्य में परीक्षा परिणाम तैयार करते समय ऐसी त्रुटियां न हो इसका ध्यान रखा जावे।
2. **बी.सी.ए.**–बी.सी.ए. भाग एक एवं दो के परिणाम में बी.सी.ए. 105, एवं बी.सी.ए. 205 कोड में प्रायोगिक परीक्षा है जिसे आंतरिक मूल्यांकन में दर्शाया गया है। ऑनलाईन के फार्म में कुछ छात्रों को 109 एवं 199 कोड की परीक्षा में सम्मिलित होना बताया गया है, जबकि रोल लिस्ट में उन्हें **C/F** के रूप में दर्शाया गया है।
3. प्रायः सभी कक्षाओं की अंकसूचियों में आपके द्वारा **W.H.** एवं **ABSENT** परीक्षार्थियों के भी अंकसूची भेज दी गई है, जबकि इनकी अंकसूची नहीं बनाना था।
4. **एम.ए.**– एम.ए. अंतिम के अध्यादेश के प्रावधानानुसार **60** प्रतिशत में प्रथम, **48** प्रतिशत द्वितीय एवं **36** प्रतिशत में पास होने का प्रावधान है किन्तु सत्र 2014 के परीक्षा परिणाम में आपके द्वारा **45** प्रतिशत में द्वितीय एवं **33** प्रतिशत में उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा उनकी अंकसूची भी त्रुटिपूर्ण भेजी गई तथा बार–बार कहे जाने पर संशोधित अंकसूची काफी विलंब से भेजी गई जिससे संबंधित परीक्षार्थी एवं परीक्षा विभाग परेशानी में रहे, इस प्रकार से यह गंभीर त्रुटि है, तथा संबंधितों को काफी परेशानी हुई है अतएव अगामी समय के लिए इसका ध्यान रखा जावे।
5. एम.ए. पूर्व एवं अंतिम संस्कृत के परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, जबकि अंकसूची बनाकर आपके द्वारा भेज दी गई थी।

इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं की अंकसूचियां काफी विलंब से प्राप्त हुई जिससे छात्र–छात्राओं को कठिनाई हुई क्योंकि अनेक छात्र–छात्राओं के लिए नौकरी के अवसर के समय वे समय पर अपनी अंकसूची प्रस्तुत नहीं कर पाये तथा किसी उच्चतर परीक्षाओं के लिए अध्ययन हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित भी हो गये। अतएव उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

कुलसचिव

पृ. क. 2567 / परीक्षा / 2014 रायपुर, दिनांक 22 / 10 /2014

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं0र0शु0वि0वि0, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्

वि.क.अ.(परीक्षा)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की षष्ठ* बैठक मंगलवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण न्यूनतम दर रू. 25873750=00 पर, क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

04. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1	प्रो0 एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुलसचिव
3	प्रो0 रीता वेणुगोपाल	सदस्य
4	डॉ0 शशीकांता भारद्वाज	सदस्य
5	डॉ0 देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
6	डॉ0 आर0 के0 देवांगन	सदस्य
7	श्री संजय शर्मा	सदस्य
8	डॉ0 प्रमोद मेने	सदस्य
9	श्री नरेशधर दीवान	सदस्य
10	डॉ0 सुमीत तिवारी	सदस्य
11	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
12	डॉ0 विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये : –

विषय क्र. 1– विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2– क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय – क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

विषय क्र. 3— शारीरिक शिक्षा विभाग, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय,रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2014—15 का अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय शारीरिक शिक्षा विभाग, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय,रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2014—15 का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र. 4— पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय के खेल मैदान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्थाओ को आबंटन के संबंध में निर्धारित नियम एवं किराया के प्रस्ताव पर विचार करना । **(टीप संलग्न)**

निर्णय — पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय के खेल मैदान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्थाओ को आबंटन के संबंध में निर्धारित नियम एवं किराया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र. 5— शारीरिक शिक्षा विभाग, में खेल छात्रावास के निर्माण के संबंध में तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना । **(प्रस्ताव संलग्न)**

निर्णय — शारीरिक शिक्षा विभाग में 50 बैड का खेल छात्रावास के निर्माण के संबंध तैयार किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र. 6— शारीरिक शिक्षा विभाग, कोटा स्टेडियम मैदान के आंतरिक भाग को समतली—करण कर सुव्यस्थित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना। **(टीप संलग्न)**

निर्णय — शारीरिक शिक्षा विभाग, कोटा स्टेडियम मैदान के आंतरिक भाग को समतली—करण कर फुटबॉल मैदान निर्माण हेतु संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र. 7— छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सबसिडी राशि सेक्टर स्तरीय खेल एवं अंतर महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता की राशि दुगनी करने पर 8,16,000/— (आठ लाख सोलह हजार) व्यय की स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय — छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सबसिडी राशि सेक्टर स्तरीय खेल एवं अंतर महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता की राशि दुगनी करने पर 8,16,000/— (आठ लाख सोलह हजार) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्र. 8 — पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014–15 मे आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय लॉन टेनिस (महिला) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 5,40,000/- (पांच लाख चालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी । **(बजट संलग्न)**

निर्णय — पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014–15 मे आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय लॉन टेनिस (महिला) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 5,40,000/- (पांच लाख चालीस हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र. 9 — पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014–15 में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय लॉन टेनिस (महिला) प्रतियोगिता वी.आई.पी. क्लब रायपुर में आयोजन करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय — पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2014–15 में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय लॉन टेनिस (महिला) प्रतियोगिता वी.आई.पी. क्लब रायपुर में करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र. 10 — सत्र 2014–15 से अतंर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रशिक्षको एवं प्रबंधको को प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में ।

निर्णय — सत्र 2014–15 से अतंर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रशिक्षको एवं प्रबंधको को प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1 बास्केटबॉल ग्राउंड मे 02 सेट पोल क्रय कर लगाने की अनुशंसा की गई ।

प्रो. एस. के. पाण्डेय
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

डॉ. विपिनचंद्र शर्मा
संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 329/वि. वि. यंत्री/2014 रायपुर, दिनांक ~~22~~ 27/10/2014

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 21.10.2014 को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. डॉ. एस0 के0 पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी0 एनआईटी) – सदस्य
3. श्री के0 पी0 तिवारी (वि0 वि0 यंत्री) – सदस्य
4. श्री बी0 सी0 बिश्वास (वित्त नियंत्रक) – सदस्य
5. डॉ. ए0 के0 गुप्ता, ओ0 एस0 डी0 (ग्रान्ट सेल) – विशेष आमंत्रित
6. श्री सुरेश भूपल, कार्यपालन अभियंता (ई0 & एम0 लो0नि0वि0) – विशेष आमंत्रित
7. श्री प्रभात सक्सेना, एस0 डी0 ओ0 (लो0नि0वि0) – सदस्य
8. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री – प्रभारी यांत्रिकी
9. श्री के0 के0 चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपयंत्री, श्री अरविंद डे, उपयंत्री एवं श्री विशाल शर्मा, उपयंत्री भी उपस्थित हुए।

विषय क्रमांकः–1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16/09/2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16/09/2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–2 दिनांक 16/09/2014 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– दिनांक 16/09/2014 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांकः–3 लोक निर्माण विभाग को डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।

निर्णयः– लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं उप अभियंता द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें

प्रदान की गई राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है।

विषय क्रमांकः–4 विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बी. एड. भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक 16/09/2014 में लोकनिर्माण विभाग से परीक्षण कराने निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा परीक्षण करने के उपरांत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 511.00 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु प्रस्तावित।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बी. एड. भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक 16/09/2014 में लोकनिर्माण विभाग से परीक्षण कराने निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा परीक्षण करने के उपरांत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 511.00 लाख प्रस्तुत किया गया। इस प्राक्कलन राशि में साईट डेवलपमेंट कार्य की राशि रूपए 4,20,70,68.00 शामिल है अतः प्रस्ताव पर सिद्धांतः सहमति प्रदान करते हुए प्रथमतः साइट डेवलपमेंट वर्क को छोड़कर शेष कार्य पर अनुमानित प्राक्कलन राशि रूपए 4,69,42,931.00 का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–5 विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बेसिक साईंस भवन के निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाईन एवं प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक 16/09/2014 में लोकनिर्माण विभाग से परीक्षण कराने निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा परीक्षण करने के उपरांत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 397.30 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु प्रस्तावित।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बेसिक साईंस भवन के निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्रीवास्तव बागरेचा एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाईन एवं प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक 16/09/2014 में लोकनिर्माण विभाग से परीक्षण कराने निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा परीक्षण करने के उपरांत ड्राईग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 397.30 लाख प्रस्तुत किया गया। जिस पर डॉ. राजेश त्रिपाठी, सदस्य एवं तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः संशोधन के उपरांत

प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 3,83,25,485.50 का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–6 विश्वविद्यालय के अधूरे ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 129.10 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के अधूरे ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 129.10 लाख प्रस्तुत किया गया। जिस पर डॉ. राजेश त्रिपाठी, सदस्य एवं तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः संशोधन के उपरांत प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 119.86 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–7 विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से संलग्न अधूरे भवन को पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 34.10 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से संलग्न अधूरे भवन को पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 34.10 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–8 विश्वविद्यालय के मुद्रणालय (प्रेस) भवन के विस्तार कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 161.83 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के मुद्रणालय (प्रेस) भवन के विस्तार कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 161.83 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–9 विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल भवन के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य एवं भवन के

शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 199.13 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल भवन के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य एवं भवन के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 199.13 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

विशेष निर्णय :– सम्मानीय सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ~~में~~ विश्वविद्यालय में निर्माण होने वाले भवनों के ड्रॉईंग, डिजाईन एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन अरबन डेवलपमेंट प्लानिंग के अनुरूप बनाया जावें।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न की गई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. कमांक 330/वि. वि. यंत्री/2014

रायपुर, दिनांक ~~22~~ 27/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

कार्यालयीन टीप

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.10.2014)

1. **NCNR द्वारा NMR उपकरण न्यूनतम दर रू. 25873750=00 पर, क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : NCNR द्वारा NMR उपकरण क्रय करने लिए पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 के निर्णय क्रमांक 7 पर लिए गये निर्णयानुसार रु. 2,40,73750/– की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

निविदा दो समाचार पत्रों (एक राष्ट्रीय एवं एक स्थानीय) में प्रसारित किया गया। निविदा प्रसारित करने के उपरांत एक फर्म मेसर्स BRUKER BIOSPIN AG Industriestarsse 26, CH-8117 Faellanden (Switzerland) जो कि उक्त उपकरण का निर्माता कंपनी है ने आवेदन जमा किया है। संबंधित फर्म एवं NCNR के संचालक, डॉ. ए. के. पति से हुई चर्चानुसार उपकरण के अतिरिक्त, उपकरण से संबंधित Accessories की भी आवश्यकता होगी। अतः इसे उपकरण के साथ क्रय किया जा रहा है तथा अब उपकरण एवं Accessories की कुल लागत रु. 2,58,73,750/– होगी।

विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 20.10.2014 एवं केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 27.10.2014 में अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।